समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

अल्पकालीन निविदा

मुंगेर जिला के तीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः 164– तारापुर, 165– मुंगेर एवं 166– जमालपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 के शेष अवधि एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए किया जाना है। इस हेतु योग्य एवं अनुभवी फर्मों से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। अनुभवी एवं योग्य फर्म जो तकनीकी शर्त्तों को पूरा करते हों सीलबन्द लिफाफे में एक तकनीकी निविदा एवं तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफ में उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दिनांकः 05.11.2012 को 3:00 बजे अपराहन तक दे सकते हैं। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। प्राप्त सभी निविदाएँ दिनांकः 07.11.2012 को अपराहन 2:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

तकनीकी निविदा की शर्त्तें

1. फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं निर्वाचन फोटो पहचान पत्र तैयार करने के कार्य का कम–से–कम लगातार तीन वर्षों का कार्यानुभव का जिला स्तरीय प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. फर्म को बिहार राज्य वाणिज्य कर (VAT) एवं आयकर में विधिवत होने के साथ साथ अद्यतन कर शोधन प्रमाण–पत्र तथा सेवाकर निबंधन प्रमाण–पत्र भी देना होगा। साथ ही विगत तीन वर्षों का **Up-to-date Audited Balance Sheet** संलग्न करना होगा एवं फर्म का सालाना कम–से–कम ₹10,00,000.00 (दस लाख रुपये) का **Turnover** होना चाहिए जिसका प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
3. फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ देना होगा।
4. निविदा के साथ मो0 10,000/– (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।
5. फर्म के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना यथा कम्प्यूटर्स/लेजर प्रिंटर/जेनरेटर/डिजिटल कैमरा/ लेमिनेशन मशीन तथा यूपीएस आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा तथा उनका पूर्ण विवरण (Specification) भी देना होगा। दिए गए विवरण के अनुसार संसाधनों की समीक्षा के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जायेगा। इस हेतु Pantium V system with minimum 500 GB HDD, 2 GB RAM, Digital/CCW Camera, Lamination machine, Laser Printer (16 PPM) 1200 dpi, Generator, UPS with minimum one hour backup एवं Manpower भी अलग से देना होगा।
6. डाटा इन्ट्री एवं फोटो खींचने के दौरान कितने कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं फोटो ग्राफरों को लगाया जायेगा तथा ऑपरेटरों एवं फोटोग्राफरों का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता एवं पूर्व में किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

7. आवंटित कार्य का Sub contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। यदि ऐसा पाया गया तो कार्यादेश वापस ले लिया जायेगा एवं जमानत की राशि जप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
8. फर्म द्वारा प्रयुक्त कम्प्यूटर में अनुज्ञापित ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होने संबंधी प्रमाण मूल सीडी सहित संलग्न करनी होगी।
9. फोटोयुक्त मतदाता सूची का निर्माण एवं ईपिक निर्माण का कार्य हर हाल में एक ही फर्म से लिया जायेगा। अतः उन्हें फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने तथा ईपिक निर्माण कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा फर्म के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व कार्य निष्पादित कर देने का Under taking देना होगा।
11. फर्म को सभी कार्य मुंगेर मुख्यालय में करना होगा तथा इसके लिए आवश्यक भवन/विद्युत/जेनरेटर आदि की व्यवस्था स्वयं फर्म को करनी होगी। जिला मुख्यालय से बाहर कार्य करने की शर्त्त किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ देना होगा।
12. ON Line एवं OFF Line के लिए DPL (Designated Photography Location) का निर्धारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। फोटोग्राफी के सात दिनों के पूर्व प्रपत्र 001 एवं अन्य संगत प्रपत्रों की व्यवस्था फर्म द्वारा की जायेगी।
13. प्राप्त फोटो की Renaming भी की जानी है।इस हेतु भी कम्प्यूटर एवं आवश्यक सिस्टम की व्यवस्था फर्म द्वारा की जायेगी।
14. मतदाता फोटो पहचान–पत्र (5X8.4 c.m.) से0मी0 का होगा तथा प्रयुक्त कागज की Thickness 85 GSM से कम नहीं होनी चाहिए तथा लैमिनेशन हेतु पोलिएस्टर फिल्म की मोटाई 125 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र के लिए फर्म को मुख्य निर्वाचन कार्यालय, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुरुप कार्य करने संबंधी Under taking देना होगा।
15. Original cartridge के द्वारा ही फोटो मतदाता सूची सभी प्रतियाँ लेजर प्रिंटर से A4 size Century Paper में निकालना होगा।
16. आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरुप संबंधित कार्य का निष्पादन फर्म को करना होगा।
17. बिहार राज्य के बाहर के निविदादाता को कार्यादेश के पूर्व बिहार राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा निबंधन संख्या प्राप्त करना होगा।

वित्तीय निविदा की शर्त्तें

1. फोटो मतदाता सूची का निर्माणः–
   a. तकनीकी निविदा में सफल फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
   b. प्रति एकल पृष्ठ एवं पृष्ठ के दोनों तरफ के लेजर प्रिंटिंग हेतु अलग–अलग दर (कागज सहित)।
   c. पीडीएफ के निर्माण का दर।

d. पीडीएफ सीडी एवं AB-CD के निर्माण का दर।

e. नजरी नक्शा का दर।

f. कन्ट्रोल टेबुल में सुधार का दर।

g. डाटाबेस में फोटो पोर्टिंग का दर।

h. डाटा इन्ट्री (परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन)

i. एकीकरण एवं समेकन का कार्य

2. ईपिक निर्माण हेतुः—

a. ऑन लाईन मतदाता फोटो पहचान पत्र का दर।

b. ऑफ लाईन मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण का दर।

c. फोटो स्कैन कर इपिक निर्माण का दर।

d. फोटो रीनेमिंग का दर।

उपरोक्त कार्यों के इच्छुक फर्म कार्य के सामने दर (सभी करों सहित) रुपये/पैसे में अंक और शब्दों में साफ–साफ लिखेंगे तथा नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे। अपूर्ण एवं बगैर हस्ताक्षर वाले वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चयनित फर्म द्वारा सफलता पूर्वक समयबद्ध ढ़ंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतान किये जाने वाले विपत्र पर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में स्त्रोत पर कर की कटौतियाँ कर ली जायेंगी। निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रतिदिन विलम्ब के लिए 2000/— (दो हजार) रुपये की कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी। फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

निर्धारित शर्त्त एवं कार्य की विवरणी एवं निविदा प्रपत्र निर्वाचन कार्यालय, मुंगेर के नाजिर के पास 100/— (एक सौ) रुपये नगद जमा कर नाजीर रसीद लेकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा लिया जायेगा। अन्य प्रपत्र में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त शर्त्तों के आलोक में समय–समय पर निर्वाचन कार्यालय, बिहार, पटना एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्त्तों का भी पालन करना होगा तथा बगैर कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह० 15/10/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 448 /नि0, दिनांक: 15. X. 12

प्रतिलिपिः निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन दो समानित हिन्दी दैनिक में एक दिन के लिए करने की कृपा की जाए। अल्पकालीन निविदा से संबंधित सी0डी0 की एक प्रति संलग्न है।

ह० 15/10/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

15/x/12

ज्ञापांक: 448 / नि0, दिनांक: 15 · X · 12 ·

प्रतिलिपिः	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः	आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः	जिला स्तरीय कय समिति के सदस्य यथा अपर समाहर्त्ता, मुंगेर / जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर / सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, मुंगेर / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, (एनआईसी) मुंगेर को दिनांकः 07.11.12 को 2:00 बजे अप0 समाहरणालय, मुंगेर के सभा कक्ष में कय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, मुंगेर / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर जिला / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/12

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।